मध्य प्रदश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर,2017

क्रमांकःएफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.10.2017 में आंशिक संशोधन कर श्री महेन्द्रपाल सिंह निरंजन (म.प्र.वित्त सेवा अधिकारी) को वित्तीय सलाहकार,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग मंत्रालय भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री चन्द्रशेखर राजवैद्य,संयुक्त संचालक (वित्त) का संचालनालय,अनुसूचित जनजाति विभाग में पदस्थ करते हुए उन्हें संयुक्त संचालक अनुसूचित जाति का प्रभार दिया जाता है। श्रीमती स्वाति त्रिपाठी,संयुक्त संचालक (वित्त) की अवकाश अवधि में वापिसी पर संयुक्त संचालक,अनुसूचित जाति पदस्थ किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रं.एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर,2017

प्रतिलिपिः-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
2. अपर मुख्य सचिव,वित्त के स्टाफ आफीसर,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन/आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय,
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग के निज सहायक,
5. सचिव **(कार्मिक)** मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,
6. आयुक्त,कोष एवं लेखा,भोपाल,
7. आयुक्त,आदिम जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,भोपाल,
8. संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा,भोपाल,
9. मुख्य लेखाधिकारी,वल्लभ भवन,मंत्रालय,
10. कोषालय अधिकारी,भोपाल,
11. संबंधित अधिकारी-----------------
12. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 30/10/2017

क्रमांक एफ-5(ए)/3/2017/ई/चार, राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा,2015 की संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान) में नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग व्दारा अनुशंसित सूची से निम्नलिखित उम्मीद्वारों के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **दो वर्ष की परिवीक्षा** पर निम्नांकित शर्तो पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे 5400 (छठवां वेतनमान) तथा उस पर समय-समय पर देय भत्तों के आधार पर नियुक्त किया जाकर कार्यालय संचालनालय,कोष एवं लेखा भोपाल में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक	उम्मीद्वार का नाम	भर्ती की श्रेणी (सीट)	वर्तमान डाक का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	17	श्रीमती रचिता रघुवंशी	अनारक्षित महिला	मकान नं. 14, शिवम सुन्दरम कालोनी,पी.जी. कालेज रोड,छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001
02.	23	श्री सुशील कुमार मिश्रा	अनारक्षित	73-ए/एल.आई.जी.फ्लैटमधुवन इनक्लेव मधीपुर दिल्ली पिन 110063
03.	28	श्री दीपक पाठक	अनारक्षित	एम-48,सेक्टर-5/ए,लिटिल फ्लावर स्कूल के पीछे विनय नगर थाना बहोड़ापुर ग्वालियर (म.प्र.) पिन 474012
04.	31	कु.स्वाति पाठक	अनारक्षित महिला	पाठक सदन,जटार गली,लक्ष्मीगंज लश्कर-ग्वालियर (म.प्र.) पिन 474001
05.	32	श्री शिव प्रताप सिंह बघेल	अनारक्षित	ग्रा.तथा पो.बीझावाड़ा,जिला सिवनी (म.प्र.) पिन 480661
06.	35	श्री राज कुमार राय	अनारक्षित	337,विजय पैलेस,अवंतिका नगर स्कीम नं.51, इंदौर (म.प्र.) पिन 452006
07.	41	श्री अंकुर रवि गुप्ता	अनारक्षित	क्वाटर नं. 7/8, नवरत्न कालोनी बी.एस.एफ. अकादमी टेकनपुर ग्वालियर (म.प्र.) पिन 475005
08.	44	श्री पंकज कुमार मिश्रा	अनारक्षित	एम/78, राजेन्द्र नगर कालोनी, खैरहा, तहसील सुहागपुर शहडोल (म.प्र.) पिन 484110
09.	45	कु.मनीषा मिश्रा	अनारक्षित महिला	75,सरस्वती नगर यूनिवर्सिटी रोड,ग्वालियर (म.प्र.) पिन 474002
10.	46	श्री हिमांशु देऊसकर	अनारक्षित	C/o सुबोध देऊसकर वंदना होटल के पास सर्वोदय चौक बीना (म.प्र.) पिन 470113
11.	64	कु.सरिता चौधरी	अ.पि.वर्ग महिला	ग्रा व पो.खामी तह.एवं थाना बरघाट जिला सिवनी (म.प्र.) पिन 480667
12.	70	श्री चन्द्रकांत साहू	अ.पि.वर्ग	ग्रा.घुटना मं. नं.-6,वार्ड क्र.01 पो.पोंडीकला (ए) थाना गोसलपुर तह.सिहोरा,जिला जबलपुर (म.प्र.) पिन 483222
13.	81	श्री आशीष कुमार जैन	अनारक्षित श्रवण बाधित	अनिल मेडिकल के सामने स्टेशन रोड जरूवाखेड़ा जिला सागर (म.प्र.) पिन 470115

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	91	**श्री लक्ष्मीनारायण चौहान**	अनु.जाति	शिवधाम कालोनी आलोट जिला रतलाम (म.प्र.) पिन 457114
15.	95	**श्री सिद्धार्थ खरे**	अनारक्षित अस्थि बाधित	ए-1,शांति विला,रामजानकी मंदिर के सामने नरसिंहगढ पुरवा थाना सिविल लाईन पो.व जिला छतरपुर (म.प्र.) पिन 471001
16.	96	**कु.शिवानी बिरिया**	अनु.जाति महिला	ठेकेदारी मोहल्ला वार्ड नं. 9 नेनपुर जिला मण्डला (म.प्र.) पिन 481776
17.	103	**श्री सुलभ अंकित गौटिया**	अनु.जनजाति	बी-4,वृन्दावन स्टेट पटेल नगर,सुहागी जबलपुर (म.प्र.) पिन 482004
18.	115	**श्री सचिन कुमार धुर्वे**	अनु.जनजाति	कमला धुर्वे/थानसिंह धुर्वे आजाद वार्ड क्रं.-2, चीलघर रोड एससी-17407 लखनादौन जिला सिवनी (म.प्र.) पिन 480886
19.	118	**श्री रविन्द्र देवड़ा**	अनु.जनजाति	1026,सी सेक्टर,पंडिल दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया ग्राम इंदौर थाना हरिनगर इंदौर (म.प्र.) पिन 452010
20.	119	**कु. शांति छुरा**	अनु.जनजाति महिला	चक्रतीर्थ कपिलधारा रोड वार्ड नं.-7 अमरकटंक तह.पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म.प्र.) पिन 484886
21.	124	**कु. ग्रविता भिंडे**	अनु.जनजाति महिला	24/1,हातीराम दरवाजा मोहन टॉकिज रतलाम (म.प्र.) पिन 457001
22.	125	**श्री अनुपम दुबे**	अनारक्षित श्रबण बाधित	श्री अनुपम दुबे,डी-9,राम विहार कालोनी पानी की टंकी के पास राजेन्द्र नगर गली नं. 10 सतना (म.प्र.) पिन 485001

2/- यदि किसी अभ्यार्थी का चयन अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है तो उसे अधिकतम 6 माह के अन्दर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा किसी अभ्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र वैद्य नहीं पाया जाता है उक्त दोनो स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ऐसा प्रशिक्षण/पाठयक्रम ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी, जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

4/- दो वर्ष की उक्त परिवीक्षा की अवधि में आपका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक न पाये जाने या विहित विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण न करने या अन्य कारणों से, राज्य शासन, आपकी परिवीक्षावधि में 01 वर्ष आगे और वृद्धि कर सकेगा या आपकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

5/- चयन सूची में सभी उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात लोक सेवा आयोग की चयन सूची के आधार पर ही वरिष्ठता निर्धारित रहेंगी।

6/- उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,1961 एवं मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा की शर्ते) नियम,1965 (समय-समय पर संशोधित) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के अंतर्गत शासित होगें।

7/- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के आधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदान पेंशन प्रणाली लागू की गई। सेवा संबंधी अन्य मुददे नियमित शासकीय सेवको को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये और उन्हें लागू किया जाये,के अध्यधीन रहेंगे।

8/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उन पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन,भत्ते,यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय शामिल होगें,की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा। बाण्ड का प्रारुप संलग्न है। इसकी पूर्ति कर इसे संचालनालय, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक एफ-5(ए)/3/2017/ई/चार, भोपाल दिनांक 30/10/2017

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सचिव,
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सहायक,
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इंदौर की ओर पत्र क्रमांक 2979/61/2016/चयन, दिनांक 19.5.2017 एवं 6627/61/2016/चयन, दिनांक 21.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि लोक सेवा आयोग से अनुशंसित सूची अनुसार **<u>अभ्यार्थियों से चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर, 2012</u>** अनुसार शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये। इसके साथ ही :-
   - **अ-** चयनित उम्मीदवारों से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बाण्ड की पूर्ति कराकर रिकार्ड में रखे।
   - **ब-** नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर निवेदन है कि एक प्रति संबंधित अधिकारी की सेवा-पुस्तिका में संलग्न की जाये।
   - **स-** कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावे।
   - **द-** चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
   - **ई-** आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसकी पुष्टि संबंधित जिले के कलेक्टर से कराकर अभिलेख में सुरक्षित रखे।
6. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल,
7. प्रशासनिक अधिकारी,आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी,शाहपुरा भोपाल।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा/संभागीय पेंशन अधिकारी।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी।
10. श्री/श्रीमती/कु.--
    की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में **<u>अपनी उपस्थिति दिनांक 15.11.2017 तक</u>** आयुक्त,कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल पर्यावास भवन पंचम तल,अरेरा हिल्स में देते हुए कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाईल।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2017

क्रमांक एफ-1(सी)/7/2017/ई/चार, राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा,2015 में आयोजित संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर नियुक्ति के लिये अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नांकित शर्तो पर उक्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100+ग्रेड पे 5400 में नियुक्त करता है :-

क्रं.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	नियुक्ति/पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	06	कु.गरिमा बाजपेयी	बी.एम.374, दीनदयाल नगर ग्वालियर (म.प्र.)	अनारक्षित महिला श्रवण बाधित	सहायक संचालक संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल

2/ यदि किसी उम्मीदवार का चयन अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है तो उसे अधिकतम 6 माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3/ उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में शासन व्दारा निर्धारित प्रशिक्षण/पाठयक्रम ग्रहण करना होगा तथा शासन व्दारा निर्धारित विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी, जो शासन व्दारा निर्धारित की जाती है।

4/ दो वर्ष की उक्त परिवीक्षा की अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने या विहित विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण न करने या अन्य कारणों से, राज्य शासन, संबंधित की परिवीक्षा अवधि में दो वर्ष आगे ओर वृद्धि कर सकेगा या सेवाएं समाप्त कर सकेगा।

5/ चयन सूची में सभी उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात लोक सेवा आयोग की चयन सूची के आधार पर आपकी वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

6/ उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा की शर्ते), 1965 (समय-समय पर संशोधित) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत शासित होगें।

7/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुददे नियमित शासकीय सेवको को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये और उन्हें लागू किया जाये, के अध्ययाधीन होंगे।

8/ उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनकी परिवीक्षा अवधि शासन व्दारा उन पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय शामिल होगें, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है। इसकी पूर्ति कर इस संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रस्तुत करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1(सी)/7/2017/ई/चार, भोपाल, दिनांक 30अक्टूबर,2017

प्रतिलिपिः-

01. माननीय वित्त मंत्री जी के विशेष सहायक
02. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के स्टाफ आफीसर
03. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सहायक,

04. आयुक्त,कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल,
05. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,भोपाल,
06. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
07. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2980/62/2016/ चयन, दिनांक 19.5.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
08. **(अ)** संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त चयनित उम्मीदवारों की सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
(ब) चयनित उम्मीदवारों से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बॉण्ड की पूर्ति करवाकर रिकार्ड में रखें।
(स) नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर निवेदन है कि एक प्रति संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में संलग्न की जाये।
(द) कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए, उन्हें पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
(ड़) चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर, प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
09. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, सतपुड़ा भवन कोषालय/विन्ध्याचल भवन,भोपाल,
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी---
1. नियुक्ति का ऑफर स्वीकार होने की दशा में आप कृपया संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल में 30 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि के बाद आपकी उपस्थिति इस विभाग की पुर्वानुमति के बिना स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी सेवा में कार्यरत है, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय अपने कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारमुक्त होकर अपना कार्यभार ग्रहण करें।
11. संयुक्त संचालक/उप संचालक,क्षेत्रीय कार्यालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा,भोपाल/इंदौर/ ग्वालियर/जबलपुर/उज्जैन/सागर/रीवा
12 संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश मंत्रालय
13. गार्ड फाईल

(विजय कठाने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग